


# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.4(6) शिक्षा-1/2019, जयपुर, दिनांक 20.12.2019 एवं अनुवर्ती समसंख्यक स्वीकृति दिनांक : 24.12.2019 के अनुरारण में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा-मा/माध्य/अ-1/21310/स्टा.पैटर्न/मावि-उमावि/2019/672 दिनांक 12.04.2021 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, टोंक के प्रस्तावानुसार राउमावि. अहमदपुरा चौकी, टोंक में पूर्व स्वीकृत ऐच्छिक विषय उर्दू एवं राजस्थानी साहित्य के स्थान पर हिन्दी साहित्य एवं इतिहास परिवर्तित किये जाने पर स्थानीय विद्यालय में कार्यरत निम्न व्याख्याताओं के अधिशेष हो जाने पर एपीओ कर मुख्यालय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय
01	सुश्री असमा बानो	उर्दू
02	श्री भगत सिंह चुण्डावत	राजस्थानी साहित्य

उक्त कार्मिकों को आदेशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी आगामी उपस्थिति निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर पर देवें। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनकी कार्यमुक्ति की पालना सुनिश्चित करावें।

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.ए.स.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-5/एपीओ पदस्थापन/2020-21/223

दिनांक:- 20/07/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2) राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकार
5. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही का प्रबोधन करावें।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/संबंधित कार्मिक
8. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर